भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
[भारत सरकार / Government of India]

नवंबर 30, 2024

<u>निदेश</u>

विषय : दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के तहत हेडर और सूचना सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत निदेश।

एफ.सं.डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) - जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात "भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित), को अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु कतिपय कार्यों जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, का निर्वहन सौंपा गया है;

2. और जबकि भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के उप-खंड (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) को विनियमित करने हेतु दिनांक 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6), (इसके पश्चात "विनियम" के रूप में संदर्भित) बनाया;

3. और जबकि प्राधिकरण ने, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों और

विनियमों के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, सभी एक्सेस प्रदाताओं को निदेश देते हुए विनियमों के तहत हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के उपायों के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2024 को निदेश संख्या डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) जारी किया, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमुख संस्थाओं (पीई) से प्राप्तकर्ता तक के संदेश ट्रेस करने योग्य हों और दिनांक 01 नवंबर 2024 से सभी संदेश, जिनमें टेलीमार्केटर्स (टीएम) की श्रृंखला परिभाषित नहीं है या मेल नहीं खाती है, को अस्वीकार कर दिए जाएं;

4. और जबकि, सभी एक्सेस प्रदाताओं ने तब से तकनीकी समाधान लागू कर दिए हैं; लेकिन, पीई/टीएम आईटी प्लेटफॉर्म के तकनीकी उन्नयन और उनके द्वारा श्रृंखला घोषणा के लिए एक संक्रमण समय प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के अपने निदेश संख्या डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ एक्सेस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि सभी पीई और टीएम संदेशों के प्रसारण में व्यवधान से बचने के लिए जल्द से जल्द पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग को पूरा करेंगे; और दिनांक 1 दिसंबर 2024 से उन संदेशों को अस्वीकार कर देंगे, जहां पूरी श्रृंखला परिभाषित नहीं है या पूर्व-परिभाषित श्रृंखला से मेल नहीं खाती है।

5. और जबकि प्राधिकरण ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के निदेश के अनुसार पीई से प्राप्तकर्ता तक संदेशों की ट्रेसबिलिटी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के साथ दिनांक 7, 19 और 26 नवंबर 2024 को समीक्षा बैठकें कीं और इन बैठकों में यह देखा गया कि चेन घोषणा और पंजीकरण सहित तकनीकी उपायों की प्रभावशीलता मे अच्छी प्रगति हुई है, हालांकि अभी भी कुछ गैर-अनुपालन करने वाले पीई और टीएम है। इसके अलावा, एक एक्सेस प्रदाता और सीओएआई से एक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पीई/टीएम के साथ सप्ताहांत और अन्य कारणों से संभावित समन्वय मुद्दों के कारण 1 नवंबर की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

6. अब, इसलिए, पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्थिति की समग्र समीक्षा के पश्चात, प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ धारा 13 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार

उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) के प्रावधानों के अनुसार, और दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के निदेश संख्या डी-27/1/(2)/2024-क्यूओएस (ई-13563) के पैरा 7 में आंशिक संशोधन करते हुए, सभी एक्सेस प्रदाताओं को एतद्द्वारा निदेश दिया गया है कि-

(क) सुनिश्चित करें कि पीई और टीएम को सेवा व्यवधानों को रोकने के लिए पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग को तुरंत पूरा करना होगा।

(ख) पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग को लागू करने या अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में विफल रहने वाले गैर-अनुपालक पीई और टीएम को दैनिक चेतावनियां जारी की जाती रहेंगी, उन्हें सूचित किया जाएगा कि यदि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत नहीं की गई, तो दिनांक 11 दिसंबर 2024 से संदेश प्रसारण को अवरुद्ध कर देंगे।

(ग) एक्सेस प्रदाता श्रृंखला बाइंडिंग आवश्यकताओं के साथ संदेश अनुपालन के संबंध में प्राधिकरण को दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना जारी रखेंगे;

(घ) दिनांक 11 दिसंबर 2024 से उन संदेशों को अस्वीकार कर देंगे, जहां पूरी श्रृंखला परिभाषित नहीं है या पूर्व-परिभाषित श्रृंखला से मेल नहीं खाती है।

7. सभी एक्सेस प्रदाताओं को निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन करें तथा तथा इस निदेश के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर व्यवहार संहिता (सीओपी) को अद्यतन करने सहित की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति प्राधिकरण को पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करें ।

ह/-

(संजय कुमार)

संयुक्त सलाहकार (क्यूओएस-II)

सेवा में

सभी एक्सेस प्रदाता

****